राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी के0 राम यादव (आर0ए0एस0)

उनवान

01. आसू पुत्र स्व. श्री फिरोजा जाति मेव निवासी ग्राम रभाना तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
———:: प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)
———:: अप्रार्थी

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

11/08/20

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि उक्त वाद में वर्णित आराजी वादी व तरतीबी प्रतिवादी की पैत्रिक सम्पत्ति है, जो संवत् 1999 से संवत् 2015 पर साकिन देह खातेदार का अंकन दर्ज रिकार्ड रहा है। लेकिन उक्त वाद पेश करते समय सहबन से कुछ प्ररूपिक त्रुटिया रह गई है। जिनके रहते विवाद का अन्तिम रूप से पक्षकारो के मध्य निपटारा नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादी उक्त अनुवान प्रकरण को वापिस लेकर नया वाद सही तथ्यों के आधार पर पेश करना चाहता है। जिससे कि पक्षकारों के मध्य निपटारा हो सके है। इसलिए वादी उक्त अनुवान प्रकरण को वापिस लेकर नया वाद सही तथ्यों के आधार पर पेश करना चाहता है। जिससे कि पक्षकारों के विवाद का सही रूप से निपटारा हो सकें। इसलिए न्यायहित में वादी को उक्त वाद को वापिस लेने व नया वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की अनुमति दिया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त अनुवान प्रकरण की पत्रावली आज ही तलब कर वादी को यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वापिस लेने तथा नया वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली पर विधवान अधिकवक्ताओं की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कहां गया की प्रार्थी वाद को जिसे स्टेज पर विड्रो करना चाहता है उसे नियम 6 रूल 17 के तहत संशोधित भी किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र पर वापिस ले सकता है जिसका अधिकार प्रार्थी को है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

आदेश सुनाया गया।

11/08/2020

(के0 राम यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)